

Date:- 22.08.2019

To,

Nodal Officer  
FCA, Aranya Bhawan,  
Jaipur

Sub.:- Reply for Diversion of 0.138 ha of forest land in favor of CHIEF REGIONAL MANAGER, Hindustan Petroleum Corporation Limited Bhagat ki Kothi, Jodhpur Construction of Approach Road for Proposed Hindustan petroleum Retail Outlet on Ganganagar -Bikaner NH-15 (R.H.SIDE), Between Chainage ms stone 89/760 to 89/841.40, Lunkaransar-Malkisar at Village- Chak -2 BHM, Tehsil-Lunkaransar, District Bikaner Proposal No. FP/RJ/ROAD/38474/2019

Ref.:- Letter No. F 14 ( ) 2018/FCA/PCCF/EDS-II Dated 22-07-2019

Sir,


In Reference to above subjected letter proposal for the Diversion of 0.138 ha of forest land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan petroleum Retail Outlet on Ganganagar -Bikaner NH-15 (R.H.SIDE), Between Chainage ms stone 89/760 to 89/841.40, Lunkaransar-Malkisar at Village- Chak -2 BHM, Tehsil-Lunkaransar, District Bikaner has been examined in the office of Nodal Officer FCA, Aranya Bhawan, Jaipur with some observations and directed to convey with necessary rectifications.

In compliance of above letter the point wise reply for the following observation submitted as under:-

S. No.	Observations	Reply
1.	बिन्दु संख्या A-1.1. की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रस्तावित आउटलेट सड़क के दांयी और होना अंकित किया गया है किन्तु ऑनलाईन प्रस्ताव में अंकित नहीं किया गया है।	ऑनलाईन प्रस्ताव में अंकित कर दिया गया है।
2.	बिन्दु संख्या B-2 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा ग्रामवार विवरण में गैर वन भूमि में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का क्षेत्र शामिल कर लिया गया है किन्तु ग्रामवार वन/गैर वन भूमि का विवरण ऑनलाईन से हटा दिया गया है। जो पुनः दिया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामवार वन/गैर वन भूमि का विवरण ऑनलाईन पुनः प्रस्तुत कर दिया गया है।
3.	बिन्दु संख्या Ad-3 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा एरिया केलकुलेशन अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार संलग्न किया गया है किन्तु अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार नहीं है।	अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार संशोधित एरिया केलकुलेशन पुनः प्रस्तुत कर दी गई है।
4.	बिन्दु संख्या Ad-4 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट ले आउट प्लान में लम्बाई चौड़ाई में गणना कर संलग्न की गई है किन्तु प्रस्तावित वन क्षेत्र के अनुसार नहीं है।	संशोधित एरिया केलकुलेशन पुनः प्रस्तुत कर दी गई है।

Submitted for necessary action and approval please.

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corpn. Ltd.

  
Shalabh Raj Gupta  
Senior Regional Manager

Enclosed: - As above.

Yours